न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/69/2025	2025/387	13.11.2025	25.05.2026

1. लाल सिंह पुत्र डालूराम जाति कचेरा निवासी ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 23.09.2022 इंतकाल सं0 1076 वाके ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री जोगेन्द्र सिंह —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—ःनिर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 23.09.2022 नामान्तकरण संख्या 1076 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट अब तक यही समझे हुये था कि इन्तकाल में अपीलाण्ट का नाम लाल सिहं पुत्र डालूराम दर्ज है लेकिन दिनांक 8.10.2025 को अपीलाण्ट को जानकारी हुई कि अपीलाण्ट का नाम उपरोक्त इन्तकाल मे पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज है जिस पर मिन अपीलाण्ट ने अपने वकील साहब से सलाह मशवरा किया तो उन्होने अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर दिनांक 9.10.2025 को नकल का प्रार्थनापत्र पेश किया जो नकल दिनांक 14.10.2025 को प्राप्त हुई जिससे यह अपील जानकारी दिनांक 8.10.2025 व मिलने नकल 14.10.2025 से अन्दर अवधि पेश है। जिस बाबत प्रार्थनापत्र जेरदफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय ना तो अपीलाण्ट के दस्तावेजो का रिकॉर्ड तलब किया है और ना ही अपीलाण्ट से पूछताछ की गई बल्कि अपीलाण्ट का नाम जो बोलता हुआ नाम पप्पूराम था उसे इन्तकाल में दर्ज कर दिया जबकि वास्तव मे अपीलाण्ट का नाम लालसिंह पुत्र डालूराम है। अपीलाण्ट के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशनकार्ड व आयकर प्रमाणपत्र में भी अपीलाण्ट का नाम लालसिंह पुत्र डालूराम दर्ज है। उपरोक्त इन्तकाल संख्या 1076 दिनांक 23.09.2022 मे अपीलाण्ट का नाम पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज कर दिये जाने से अपीलाण्ट को भारी हानि है तथा इसी प्रकार से जमाबन्दी में अंकन किया गया है जिसे

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

हटाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 608 दिनांक 19.10.2011 मे भी अपीलाण्ट का नाम लालसिंह उर्फ पप्पू दर्ज है।

अतः श्रीमान की सेवा मे अपील हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 1076 दिनांक 23.9.2022 मे खाता संख्या 136 के कम संख्या 17 व खाता संख्या 222 जिसके कम संख्या 24 पर अपीलाण्ट का नाम पप्पूराम पुत्र डालू लिखा हुआ है उसके स्थान पर लालसिंह पुत्र डालूराम दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे व इसी प्रकार से कागजातमाल मे भी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा में वाके ग्राम बिलन्दी के बयनामा नामांतकरण सं० 1076 स्वीकृत दिनांक 23.09.2022 खाता संख्या 136 आराजी खसरा नंबर 908 रकबा 0. 26 है0, 915 रकबा 0.53 है0, 925 रकबा 0.27है0, 926 रकबा 0.28 है0, 927 रकबा 0.50 है०, कम संख्या 127 पर पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज किया गया तथा खाता संख्या 222 आराजी खसरा नंबर 911, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 व 928 कुल किता 13 रकबा 1.81 है० वाके ग्राम बिलन्दी के क्रम संख्या 24 पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज किया गया उक्त नामांतकरण सं. 1076 दिनांक 20.10.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत बिलन्दी द्वारा तस्दीक व स्वीकार किया गया है। जिसकी अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आती है। सक्षम न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत करनी चाहीए थी। इसलिए अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकारी के अभाव में खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2022 के विरूद्व दिनांक 12.11.2025 को पेश की गयी है अपीलान्ट को दिनांक 08.10.2025 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नामांतकरण की नकल दिनांक 14.10.2025 को प्राप्त कर दिनांक 12.11.2025 को अपील अन्दर पेश की जा रही है मियाद बिंदू प्रार्थना-पत्र दफा 5 पेश किया गया है। अपीलांट ने सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई जो लगभग 03 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी खाता संख्या 136 आराजी खसरा नंबर 908 रकबा 0. 26 है0, 915 रकबा 0.53 है0, 925 रकबा 0.27है0, 926 रकबा 0.28 है0, 927 रकबा 0.50 है०, कम संख्या 127 पर पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज किया गया तथा खाता संख्या 222 आराजी खसरा नंबर 911, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 व 928 कुल किता 13 रकबा 1.81 है० वाके ग्राम बिलन्दी के क्रम संख्या 24 पप्पूराम पुत्र डालू दर्ज किया गया। अपीलांट ने उक्त नामांतकरण को दुरूस्त कराने हेतु निवास प्रमाण-पत्र, बिजली का बिल, आयकर प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमाबन्दी सं. 2075-2078, नामान्तकरण एवं इन्तकाल सं. 608 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट का सही नाम लालसिंह पुत्र डालूराम अंकित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा की तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2025/1681 दिनांक 05.12.2025 एवं नामांतकरण सं 1076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित बैयनामा सं. 1076 दिनांक 20.10.2022 को सरपंच

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ग्राम पंचायत बिलन्दी द्वारा तरदीक व स्वीकार किया गया है। जिसकी अपील अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आती है। अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

(डॉ० आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)